

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

उच्च शिक्षा विभाग

दिनांक: 28-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1406	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.2955) दि. 28-07-2016 (श्री मोती कश्यप,)	(1) जिला कटनी की तहसील डीमरखेड़ा अंतर्गत उमरियापान में महाविद्यालय की स्थापना शीघ्र कर प्रारंभ किया जाना । (2) डीमरखेड़ा एवं सिलोडी में भी महाविद्यालय स्थापना किये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना।	(1) हम यह प्रयास करेंगे कि इसी सत्र में महाविद्यालय को शुरू कर दिया जाए । (2) प्रक्रिया में लिया जायेगा ।		
1407	तारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.318) दि. 28-07-2016 (श्रीमती नीलम अभय मिश्रा,)	रीवा जिले के शासकीय नवीन महाविद्यालय सेमरिया के भवन हेतु आवंटित शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण पर अतिक्रमणकारी द्वारा मा.न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किये जाने पर स्थगन आदेश शीघ्र समाप्त कराकर आवंटित भूमि का सीमांकन कराकर भूमि आधिपत्य सौंपा जाना ।	(1) आसंदी निर्देश :- न्यायालय की प्रक्रिया जल्दी करा लें। आगामी हियरिंग की दरखास्त लगवा दें । (2) तत्काल सीमांकन की कार्रवाई करायेंगे । (3) जी, अध्यक्ष महोदय, हम प्रयास करेंगे ।		
1408	तारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.331) दि. 28-07-2016 (श्री दिलीप सिंह शेखावत,)	उज्जैन जिले के नागदा शहर में स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में एम.ए. एवं एम.एस.सी. की कक्षाएं खोले जाने संबंधी प्रस्ताव का शीघ्र परीक्षण किया जाकर कक्षाएं प्रारंभ किया जाना ।	परीक्षण पश्चात आगामी कार्यवाही की जावेगी ।		
1409	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.633) दि. 28-07-2016 (श्री पन्नालाल शाक्य,)	अता.प्र.सं. 42 (क्र. 6800) दिनांक 29.3.2016 के संदर्भ में श्री संतोष सक्सेना, प्रयोगशाला तकनीशियन, शास.पी.जी. महाविद्यालय, मुरैना को निलंबित किये जाने की कार्यवाही में विलंब/लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये जा रहे हैं ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1410	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.46 (प्रश्न क्रं.2365) दि. 28-07-2016 (श्रीमती ऊषा चौधरी,)	रीवा एवं सागर संभाग के महाविद्यालयों में म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 347/आ.उ.शि./नि.क./08 भोपाल दिनांक 22.10.2008 का उल्लंघन कर कम्प्यूटर ऑपरेटर रखे जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	सम्बंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों से स्थिति स्पष्ट कराई जाकर यथा योग्य कार्यवाही की जावेगी।		
1411	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.63 (प्रश्न क्रं.2690) दि. 28-07-2016 (श्री नथनशाह कवरेती,)	छिन्दवाड़ा जिले की विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव अंतर्गत नवेगांव में शीघ्र शासकीय महाविद्यालय खोला जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1412	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.64 (प्रश्न क्रं.2703) दि. 28-07-2016 (श्री जितेन्द्र गेहलोत,)	रतलाम जिले के शासकीय महाविद्यालय आलोट में मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में विज्ञान संकाय शीघ्र प्रारंभ किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1413	अतारंकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.627) दि. 28-07-2016 (श्री दुर्गालाल विजय,)	जिला मुख्यालय श्योपुर में कन्या महाविद्यालय खोले जाने की समस्त वैधानिक औपचारिकता शीघ्र पूर्ण कर महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान की जाना।	प्रस्ताव तैयार कर स्थायी परियोजना परीक्षण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुति हेतु प्रक्रियाधीन है।		
1414	अतारंकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.634) दि. 28-07-2016 (श्री पन्नालाल शाक्य,)	वर्ष 2005 में चयनित जिन सहायक प्राध्यापकों ने वांछित योग्यता प्राप्त कर ली है उनकी परिवीक्षा शीघ्र समाप्त किया जाना।	परिवीक्षा समाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1415	अतारंकित प्रश्न सं.51 (प्रश्न क्रं.2303) दि. 28-07-2016 (डॉ. योगेन्द्र निर्मल,)	बालाघाट जिले के वारासिवनी स्थित शास.महाविद्यालय परिसर में निर्मित 50 शैय्या कन्या छात्रावास में कर्मचारियों की पदस्थापना की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1416	अतारंकित प्रश्न सं.143 (प्रश्न क्रं.3519) दि. 28-07-2016 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार,)	प्रदेश के प्राध्यापकों को वेतनमान (10,000/- ग्रेड-पे) शीघ्र दिया जाना।	वेतनमान दिये जाने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1417	अतारंकित प्रश्न सं.157 (प्रश्न क्रं.3550) दि. 28-07-2016 (श्री आरिफ अकील,)	अटल बिहारी हिन्दी विश्वविद्यालय द्वारा यू.जी.सी. की गार्ड लाईन का उल्लंघन करने संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही की जाना ।	छात्रों से प्राप्त शिकायत का परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जायेगा ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

गृह विभाग

दिनांक: 28-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1418	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.171) दि. 28-07-2016 (पं. रमेश दुबे,)	थानादेहात होशंगाबाद में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 40/16 के आरोपी मुकेश गौर की मृत्यु होने की जांच थाना प्रभारी को हटाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) एडिशनल एस.पी. को इसके लिए जांच के लिए हमने निर्देशित किया है । (2) हम टी.आई को आज ही तत्काल हटा देंगे और जांच में जो आपने कहा है वह बिंदु भी सम्मिलित कर लेंगे ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

दिनांक: 28-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1419	तारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.3512) दि. 28-07-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह,)	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय (आर.जी.पी.वी.) भोपाल के उप परीक्षा नियंत्रक एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) जी हों । जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है । (2) जांच की कार्यवाही प्रचलन में है । (3) जी हों । जांच प्रचलित है ।		
1420	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.45 (प्रश्न क्रं.2361) दि. 28-07-2016 (श्रीमती ऊषा चौधरी,)	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुरैना द्वारा म.प्र.भण्डार क्रय नियम के विरुद्ध क्रय की समस्त सामग्री की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जांच प्रक्रियाधीन है । जांच पूर्ण होने पर यथा निर्णय लिया जाएगा ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक: 28-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1421	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.486) दि. 28-07-2016 (श्री कमलेश्वर पटेल,)	सीधी जिले की सिंहावल विधान सभा क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले उजागिर कोल पुत्र निजकउ कोल, हिंछा कुशवाह पिता नर्मदा कुशवाहा ग्राम गुढाही सहित अनेक पात्र लोगों के जो कि जिन्दा है को मृत बताकर गरीबी रेखा की सूची से नाम काटे जाने की जांच एवं पात्र हितग्राहियों के नाम गरीबी रेखा की सूची में जोड़ा जाना ।	(1) हम उनकी जांच करा लेंगे । गलत हो गया होगा तो हम उसको संशोधित कर देंगे । (2) निचले स्तर के अधिकारी को भी हम अधिकार दे देंगे, इसकी सुनवाई का । (3) वह आधार कार्ड बनवा लें, उसके बाद में नाम जुड़ जायेगा । (4) विचार कर लेंगे ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

राजस्व विभाग

दिनांक: 28-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1422	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.204) दि. 28-07-2016 (श्री जसवंत सिंह हाड़ा,)	शाजापुर जिले की तहसील मोमन बड़ोदिया के ग्राम खेड़ावद के कृषकों से नियम विरुद्ध सीलिंग में ली गई, जमीन का नियमानुसार उचित मुआवजा शीघ्र दिया जाना ।	(1) पुनः परीक्षण कर आदेश पारित करने का आदेश दिया गया । इस प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है । (2) शासन स्तर पर शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा । उस किसान को मुआवजा देने की कार्यवाही करेंगे और अतिशीघ्र करेंगे ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 28-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1423	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.2016) दि. 28-07-2016 (श्रीमती प्रतिभा सिंह,)	जबलपुर जिले की बरगी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हिरन नदी पर भैरोघाट पर निर्मित पुल के दोनों ओर एप्रोच मार्ग निर्माण की स्वीकृति दी जाना ।	जल्द ही इसकी स्वीकृति देंगे ।		
1424	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.2252) दि. 28-07-2016 (श्री जयवर्द्धन सिंह,)	(1) नरसिंहगढ़ और ब्यावरा के क्षतिग्रस्त मार्ग की शीघ्र मरम्मत कराई जाना । (2) ब्यावरा से भोपाल क्षतिग्रस्त मार्ग का शीघ्र पेंचवर्क कराया जाना ।	(1) जल्दी इसका काम लगे, ऐसी पूरी कोशिश करेंगे । (2) उसको आग्रह करके उसका कार्य प्रारंभ करेंगे ।		
1425	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.1782) दि. 28-07-2016 (श्री रजनीश सिंह,)	सिवनी जिले के केवलारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मझगवां में बैनगंगा नदी पर स्थित वर्षों पुराने जीर्ण-शीर्ण पुल के स्थान पर नये पुल एवं मल्हारा पुल का शीघ्र निर्माण कराया जाना ।	उसका हम लोग परीक्षण करा कर एक-एक चीज से अवगत करायेंगे ।		
1426	तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.1422) दि. 28-07-2016 (श्री अशोक रोहाणी,)	जबलपुर शहर के कटंगा से ग्वारीघाट सड़क निर्माण कार्य शीघ्र अतिक्रमण को हटवाकर पूर्ण कराया जाना ।	वहां से अतिक्रमण हटवा देंगे तो जो काम शेष रह गये हैं वह काम हम पूरा करेंगे ।		
1427	तारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.3121) दि. 28-07-2016 (श्री के.डी. देशमुख,)	बालाघाट जिले में कटोरी से मोहगांव घाट एवं कटोरी से कचेखनी मार्ग का निर्माण समस्त वैधानिक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराकर किया जाना।	(1) जी हों । (2) प्राक्कलन परीक्षणाधीन है ।		
1428	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.612) दि. 28-07-2016 (श्री दुर्गालाल विजय,)	श्योपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रेमसर-मूंढला मार्ग को शीघ्र प्राथमिकता पर सीमेंटीकृत किया जाना ।	जी हों, प्राथमिकतानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1429	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.1583) दि. 28-07-2016 (पं. रमेश दुबे,)	छिन्दवाड़ा जिले की बिछुआ तहसील अंतर्गत सामरबोह-डोकलीकला-करेर-जमुनिया-लोहारबतरी-नवलगांव सड़क निर्माण में आने वाली निजी भूमि का शीघ्र सीमांकन कराया जाकर भू-स्वामियों को भूमि के मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाना ।	स्वीकृति की कार्यवाही की जाकर, निजी भूमियों के भू-स्वामियों को मुआवजा शीघ्र ही भुगतान किया जावेगा ।		
1430	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.76 (प्रश्न क्रं.2918) दि. 28-07-2016 (श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया,)	लोक निर्माण संभाग मुरैना के उप संभाग मुरैना अंतर्गत जीगनी से बालाजी मंदिर पहुँच मार्ग एवं खेरा से माता बसैया मार्ग निर्माण में की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) जी हों । जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (2) जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (3) जी हों, जाँच कार्यवाही मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रक्रियाधीन है ।		
1431	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.77 (प्रश्न क्रं.2919) दि. 28-07-2016 (श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया,)	लोक निर्माण संभाग मुरैना के उप संभाग मुरैना अंतर्गत जीगनी से बालाजी मंदिर पहुँच मार्ग एवं खेरा से माता बसैया मार्ग निर्माण में की गई अनियमितता किये जाने की प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 11.5.16 द्वारा प्रमुख सचिव, लो.नि.वि., मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. ग्वालियर, प्रमुख अभियंता लो.नि.वि., म.प्र. एवं अधीक्षण यंत्री ग्वालियर को की गई शिकायतों में उल्लेखित तथ्यों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	शिकायत की जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
1432	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.111 (प्रश्न क्रं.3464) दि. 28-07-2016 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय,)	रतलाम जिले के जावरा नगर में जवाहर पथ से सीधे हाथीखाना होकर ताल नाका एवं रपटा रोड की रपट पर पुलिया का निर्माण कराया जाना ।	परीक्षण उपरांत कार्यवाही संभव है ।		
1433	अतारांकित प्रश्न सं.75 (प्रश्न क्रं.2777) दि. 28-07-2016 (श्री सुन्दरलाल तिवारी,)	विधानसभा प्रश्नोत्तरी के प्रश्न क्रमांक/1387 दिनांक 29.2.2016 के संदर्भ में कलेक्टर रीवा को प्राप्त जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) परीक्षण कार्यवाही प्रक्रियारत है । (2) प्रतिवेदन परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियारत है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1434	अतारंकित प्रश्न सं.127 (प्रश्न क्रं.3416) दि. 28-07-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह,)	साउथ टी.टी. नगर भोपाल स्थित शासकीय आवास गृहों के बगल में वर्षा ऋतु के पानी निकासी हेतु खुली भूमि (गलियों) में शासकीय आवासों की दीवारों के सहारे अवैध रूप से बनाई गई झुग्गियों को हटाया जाना एवं रिक्त शासकीय आवास अवैध रूप से किराये पर दिये जाने की जांच तथा शासकीय आवास गृहों के परिसर में अवैध रूप से भारी वाहनों की पार्किंग किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) जाँच कराई जा रही है । (2) जाँच कराई जा रही है ।		
1435	आधे घण्टे की चर्चा (नियम 52) (क्रमांक 0) दि. 28-07-2016 (श्री गिरीश गौतम,)	ता.प्र.सं. 05 (क्र.1639) दिनांक 21.7.2016 के उत्तर से उद्भूत विषय रीवा से हनुमना 90 कि.मी. फोरलेन मार्ग में लगभग 60 से 65 कि.मी. पुरानी सड़क को तोड़कर एवं सड़क के दोनो ओर लगे वर्षों पुराने घने वृक्षों को काटकर चौड़ीकरण कार्य में अनुबंध के अनुसार पुराने पेड़ के स्थान पर 10 गुना नये पेड़ (आम, नीम और कदम) 40 हजार 529 लगाये जाने की दी गई असत्य जानकारी की निष्पक्ष जांच तीन माह में प्रश्नकर्ता एवं क्षेत्रीय विधायक महोदय की उपस्थिति में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच कराऊंगा और मैं निर्देश दे रहा हूँ कि 03 महीने के अंदर जांच करके प्रतिवेदन यहां पर प्रस्तुत करें । जो भी गड़बड़ी करने वाले होंगे जांच के उपरान्त उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे । मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ । (2) जांच अधिकारी आपको पूरी जानकारी देंगे । (3) गंभीरता से शासन में हम बात को रखेंगे और जरूरत पड़ी तो इस पर सख्त कार्यवाही करेंगे ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

वन विभाग

दिनांक: 28-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
1436	तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.1357) दि. 28-07-2016 (डॉ. कैलाश जाटव,)	नरसिंहपुर जिले के गोटेगाँव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक में स्वीकृत राशि में से कथित व्यय की गई राशि की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) उसकी जांच करवा लेंगे । (2) वह लिस्ट मुझे दे दें और मैं उसकी जांच आप जिस स्तर से कहेंगे, उससे करवा लूंगा । (3) जांच करवा लेंगे ।		
1437	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.1925) दि. 28-07-2016 (श्री संजय शर्मा,)	नरसिंहपुर जिले के नरसिंहपुर एवं तेंदूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में हरियाली महोत्सव अंतर्गत वर्ष 2014 में पौध रोपण में की गई अनियमितता की जांच प्रश्नकर्ता सदस्य की उपस्थिति में भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों से वहां पदस्थ अधिकारियों को हटाकर शीघ्र कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) जांच करवा लेंगे साहब, और अधिकारी को हटाने के बाद जांच करवा लेंगे, एक दो जगह आप चले जाये बाकी की अधिकारी जांच कर लेंगे । (2) क्षेत्र की पूरी जानकारी की जांच करवा लेंगे । करवा लेंगे । (3) तेंदूखेड़ा में आप जहां की कहोगे, वहां की करवा लेंगे । आप जो जांच चाहते हैं सब करवा लेंगे । (4) अच्छा उसको जल्दी से जल्दी करवा लेंगे ।		
1438	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.72 (प्रश्न क्रं.2769) दि. 28-07-2016 (श्री सुन्दरलाल तिवारी,)	रीवा जिले में तेंदूपत्ता मद से निर्मित अंतरेला डांडी से जरेहा रोड़ एवं रपटा निर्माण में हुई अनियमितता की प्रश्न क्रमांक-5598 दिनांक 15.3.16 के संदर्भ में जांच समय-सीमा में पूर्ण कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जांच की कार्यवाही अभी जारी है ।		
1439	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.73 (प्रश्न क्रं.2792) दि. 28-07-2016 (श्री सुखेन्द्र सिंह,)	ध्यनाकर्षण सूचना क्र. 788, दिनांक 1.4.2016 के संदर्भ में सतना जिले के मुकुन्दपुर स्थित चिडियाघर एवं प्राणी सह. उपचार केन्द्र में निर्माण में की गई अनियमितता की जांच के निष्कर्ष के आधार पर दोषी अधिकारियों को जारी आरोप पत्र का प्राप्त प्रति उत्तर का शीघ्र परीक्षण कर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1440	अतारंकित प्रश्न सं.145 (प्रश्न क्रं.3523) दि. 28-07-2016 (श्री मंगल सिंह धुर्वे,)	बैतूल जिले में वनरक्षकों की वनपाल के पद पर की गई पदोन्नति के आदेश शीघ्र प्रसारित किया जाना ।	जी. हॉ । प्रकरण प्रक्रियाधीन है ।		
1441	आधे घण्टे की चर्चा (नियम 52) (क्रमांक 0) दि. 28-07-2016 (श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल,)	ता.प्र.सं. 22 (क्र. 1757) दिनांक 21 जुलाई 2016 के उत्तर से उद्भूत विषय पर बैतूल जिले में राजस्व भूमि एवं वन भूमि के विवादित मामले का निराकरण हेतु ए.डी.एम. स्तर के व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त किया जाकर राजस्व भूमि वन विभाग के कब्जे से मुक्त कराया जाना ।	(1) राजस्व अधिकारियों को हमारे डीएफओ से पत्र लिखवा देंगे और यह कहेंगे कि यह जो राजस्व की जमीन है इस पर हमारा आधिपत्य नहीं है, अब राजस्व विभाग उस पर कैसे कब्जा लेता है यह उनके ऊपर है, लेकिन हमारा कब्जा नहीं है । (2) रेवेन्यू मिनिस्टर से और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके कोई एसडीएम स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करायेंगे ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक: 28-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1442	नियम 142 "क" के अधीन अल्पकालीन चर्चा (क्रमांक 0) दि. 28-07-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह,)	(1) प्रदेश में अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर नियंत्रण के लिए शीघ्र अधिनियम बनाया जाना । (2) शिक्षण संस्थाओं के स्कूलों में स्कूल ड्रेस हर वर्ष बदलने पर प्रतिबंध लगाया जाना ।	(1) दिसंबर के पहले ये सारे नियम अधिनियम बन करके इस पवित्र सदन पर रख दिए जायेंगे । (2) हर साल ड्रेस बदल दी जाती है. परन्तु अब पांच साल तक नहीं बदलने दूंगा इसके लिए नियम बना रहा हूं । (3) प्रायवेट शिक्षण संस्थाएं मनमानी वसूली करती हैं उस पर रोक लगेगी ।		